

8.5.24 पत्रावली पेश हुई। अपाधी के अधिकार
अनुपस्थित। प्राधी के अधिकार द्वारा
अपाधी की जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल

प्राप्त नहीं हुए। प्राची के अधिवक्ता पूर्व में भी
 चार पेशी पर अनुपस्थित रहे। न्यायालय
 में अधिवक्तागण द्वारा प्रभावी पैरवी किये
 जाने हेतु बार की सूचित किया जा चुका
 है। न्यायालय में नियत समय में एवं
 समय समाप्त तक अधिवक्तागण की बार-
 बार आवाज लगाने के बावजूद भी
 अधिवक्ता प्राची अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता
 प्राची के अनेक अवसर दिये जाने के
 बाव भी अनुपस्थित रहने से पचावठी
 अदम दायरी अदम पैरवी में इसी
 स्तर पर खारिज की जाती है। उपरोक्त
 खारिज पचावठी मेंबर से कम ही।

जिला न्यायालय
 बालांतरा